राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (641) आकाशि / नि.स. / 2007 / 1041 | दिनांकः– 16/3/15

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2014–15 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	641	श्री कृष्ण गर्ल्स कालेज, बाईपास रोड, कांवट, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय संकाय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धत्ता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित बेवपार्टल know your college पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।

16/3
आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, सीकर ।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।

विनय कुमार 16/3/15
संयुक्त–निदेशक (निजी संस्था)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 ( ) आकाशि/नि.स./2007/ 135 दिनांक - 24.11.2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017–18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को **स्नातकोत्तर स्तर पर** पूर्वसंचालित विषय/संकाय में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संचालित संकाय/विषय
श्री कृष्ण पी.जी. गर्ल्स कॉलेज, बाईपास रोड़, कांवट, सीकर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर पं0 दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	स्नातकोत्तर स्तर पर– कला संकाय– हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, संस्कृत साहित्य।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संवद्धत्ता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भीउल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित बेवपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी ।
13. उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, पड़ित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (नि.स.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)